Ex.P.-479

S-10.

कथन – दिनेश कुमार चन्द्रवंशी

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	दिनेश कुमार चन्द्रवंशी पिता स्व. श्री बिहारी लाल चन्द्रवंशी
उम्र	–	55 वर्ष
पता	–	मकान नं. जूनियर एमआईजी–65 सेक्टर–3 दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	98263–73565
व्यवसाय	–	लेखाधिकारी नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय अवंति विहार हितवाद परिसर रायपुर (छ.ग.)

——00——

पूछने पर बताया कि मैं नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय में लेखाधिकारी पद पर पदस्थ हूँ तथा मुख्यालय में परिवहन कक्ष में निविदा संबंधित का कार्य देखता हूँ। छ0ग0 शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन [illegible] रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 4–5/खाद्य/2013/29/930 रायपुर दिनांक 14.03.2014 की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये पूछने पर बताया कि इसके अनुसार चांवल उपार्जन का संशोधित प्लान परिशिष्ट [illegible] में संलग्न कर प्रेषित किया गया था जिसके अनुसार धमतरी जिला से बस्तर जिला, नारायणपुर जिला, सुकमा जिला एवं सरगुजा जिला को उपार्जन का चांवल अतिरिक्त स्टाक को परिवहन कर भेजने हेतु निर्देशित किया गया था । इसी प्रकार जिला कांकेर से जिला बीजापुर एवं जिला दंतेवाड़ा को उपार्जन का चांवल अतिरिक्त स्टाक को परिवहन कर भेजने हेतु निर्देशित किया गया था ।

[illegible] कक्ष के चांवल परिवहन फाईल नं. 118 को [illegible] पूछने पर बताया कि, नोटशीट के पृष्ठ क्रमांक 03 में [illegible] भट्ट के द्वारा [illegible] परिवहन [illegible] बनाकर भेजा गया था, जो कि दिनांक [illegible] के अनुसार [illegible] द्वारा [illegible] में प्रस्तुत की गई है के आदेशों की अवहेलना है, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक [illegible] भट्ट के द्वारा प्रस्ताव [illegible] गया था जिसे प्रबंध संचालक [illegible] द्वारा अनुमोदित किया था। इसके आधार पर यह आदेश जारी किया गया कि 700 मैट्रिक टन [illegible] धमतरी [illegible] दंतेवाड़ा एवं 300 मैट्रिक टन धमतरी से बीजापुर किया गया [illegible] फाईल नम्बर 118 वर्ष 2014–15 एवं पेज नंबर 22 पत्र क्रमांक [illegible]/परिवहन/[illegible]/2014–15 320 रायपुर दिनांक 16.06.2014 [illegible] जिला प्रबंधक [illegible] को परिवहन कराने हेतु आदेशित किया गया है, जो है।

सा.वि.प्र. कक्ष के चांवल परिवहन फाईल नं. 118 की फाईल दिखाकर पूछने पर बताया कि, इसी प्रकार दिनांक 30.08.2014 को नोटशीट पृष्ठ कमांक 28 में शिवशंकर भट्ट प्रबंधक द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया जिसे प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा ने अनुमोदित किया। जिसमें 1500 मैट्रिक टन चांवल धमतरी से दंतेवाड़ा एवं 500 मैट्रिक टन धमतरी से बीजापुर खाद्यान परिवहन फाईल नम्बर 118 वर्ष 2014–15 एवं पेज नंबर 146 पत्र कमांक साविप्र/परिवहन/118/ 2014–15/796 रायपुर दिनांक 30.08.2014 द्वारा जिला प्रबंधक धमतरी को परिवहन कराने हेतु आदेशित किया गया है।

सा.वि.प्र. कक्ष के चांवल परिवहन फाईल नं. 118 की फाईल दिखाकर पूछने पर बताया कि, इसी प्रकार दिनांक 27.09.2014 को नोटशीट पृष्ठ कमांक 33 में शिवशंकर भट्ट प्रबंधक द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया जिसे प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा ने अनुमोदित किया। जिसमें 500 मैट्रिक टन चांवल धमतरी से दंतेवाड़ा एवं 500 मैट्रिक टन धमतरी से बीजापुर खाद्यान परिवहन फाईल नम्बर 118 वर्ष 2014–15 एवं पेज नंबर 220 पत्र कमांक साविप्र/परिवहन/118/2014–15/989 रायपुर दिनांक 27.09.2014 द्वारा जिला प्रबंधक धमतरी को परिवहन कराने हेतु आदेशित किया गया है।

सा.वि.प्र. कक्ष के चांवल परिवहन फाईल नं. 118 दिखाकर पूछने पर बताया कि, इसी प्रकार दिनांक 12.11.2014 को नोटशीट पृष्ठ कमांक 49 में शिवशंकर भट्ट प्रबंधक द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया जिसे प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा ने अनुमोदित किया। जिसमें 1000 मैट्रिक टन चांवल धमतरी से दंतेवाड़ा एवं 1000 मैट्रिक टन धमतरी से बीजापुर खाद्यान परिवहन फाईल नम्बर 118 वर्ष 2014–15 एवं पेज नंबर [illegible] पत्र कमांक साविप्र/परिवहन/118/2014–15/ 1314 रायपुर दिनांक 12.11.2014 द्वारा जिला प्रबंधक धमतरी को परिवहन कराने हेतु आदेशित किया गया है।

सा.वि.प्र. कक्ष के चांवल परिवहन फाईल नं. 118 की फाईल दिखाकर पूछने पर बताया कि, इसी प्रकार दिनांक 06.12.2014 को नोटशीट पृष्ठ कमांक [illegible] में शिवशंकर भट्ट प्रबंधक द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया जिसे प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा ने अनुमोदित किया जिसमें 2000 मैट्रिक टन चांवल धमतरी से दंतेवाड़ा खाद्यान परिवहन फाईल नम्बर 118 वर्ष 2014–15 एवं पेज नंबर 365 पत्र कमांक साविप्र/परिवहन/118/2014–15/ [illegible] रायपुर दिनांक 06.12.2014 द्वारा जिला प्रबंधक धमतरी को परिवहन कराने हेतु आदेशित किया गया है।

लंबी दूरी परिवहन कार्य (सामान्य) की दरें स्वीकृत करने बाबत् निर्देशित पत्र कमांक परिवहन/2014–15/531 रायपुर दिनांक 18.07.2014 जो पेज [illegible] से संबंधित है. लंबी दूरी परिवहन कार्य (सामान्य) की दरें स्वीकृत करने बाबत् निर्देशित पत्र कमांक परिवहन/2014–15/एफ एन 118/539 रायपुर दिनांक [illegible] जो पेज [illegible] से संबंधित है महाप्रबंधक [illegible] जारी किये गये है एवं धमतरी जिले से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले को एल आर टी के माध्यम से [illegible] किये गये चांवल की जानकारी दिनांक [illegible]

04.2014 से 28.02.2015 की स्थिति में दिखाता है बाबत् जानकारी जिला प्रबंधक धमतरी द्वारा भेजी गई है कि छायाप्रतियों को प्रस्तुत कर बताया कि उपरोक्तानुसार धमतरी के प्रदाय केन्द्र

कुरूद एवं धमतरी से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले के निम्न प्रदाय केन्द्रों को परिवहन कराया गया है जिसका विवरण फाईलों के अनुसार निम्न है–

प्रेषित गोदाम	प्राप्ति गोदाम	प्राप्ति जिला	प्रेषित मात्रा (क्विंटल में)	धमतरी की परिवहन दर प्रतिटन प्रति कि.मी.	धमतरी से दूरी (कि.मी.)	परिवहन राशि
1	2	3	4	5	6	7 (4x5x6)
swc कुरूद	swc कुआंकोंडा	दंतेवाडा	357.54	4.84	352	60913.37
swc कुरूद	swc गीदम	दंतेवाडा	850.78	4.87	318	131756.90
swc कुरूद	swc दंतेवाड़ा	दंतेवाडा	1636.07	4.86	330	262392.91
swc धमतरी	swc कुआंकोंडा	दंतेवाड़ा	2208.16	4.90	329	355977.47
swc धमतरी	swc गीदम	दंतेवाडा	21142.28	5.04	295	3143434.20
swc धमतरी	swc दंतेवाड़ा	दंतेवाडा	22768.47	5.02	307	3508940.00
swc कुरूद	swc बीजापुर	बीजापुर	3737.64	4.81	405	728149.92
swc कुरूद	swc भैरमगढ	बीजापुर	593.00	4.84	352	101028.22
swc धमतरी	swc बीजापुर	बीजापुर	17148.89	5.20	382	3406455.50
swc धमतरी	swc भैरमगढ	बीजापुर	3104.09	4.90	329	500407.97
		योग	73047.72			[illegible]

पूछने पर बताया कि इस प्रकार शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए धमतरी से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले के केन्द्रों को चावल का परिवहन कराया गया जिससे नागरिक आपूर्ति निगम को [illegible] रूपये का परिवहन भुगतान नागरिक आपूर्ति निगम को करना पड़ा। इस प्रकार धमतरी से दंतेवाड़ा एवं धमतरी से बीजापुर की दर एवं दूरी के अनुसार परिवहन में नागरिक आपूर्ति निगम के [illegible] रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाया गया। सरप्लस चावल वाले जिले से कम चावल वाले जिलों में चावल का परिवहन किया जाता है। शासन द्वारा मितव्ययिता एवं दूरी को ध्यान में रखकर कांकेर से बीजापुर एवं कांकेर से दंतेवाड़ा चावल भेजने का आदेश दिया गया था। जिससे आदेशों की [illegible] एवं नागरिक आपूर्ति निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी। मैं शिकायतकर्ता [illegible] के हस्ताक्षर को पहचानता हूं क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 04.04.2015

[illegible]
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ़